<u>जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद शामली में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 28.03.2026 का कार्यवृत्त।</u>

दिनांक 28.03.2026 को श्री अरविन्द कुमार चौहान, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे—

1.	मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।	उपाध्यक्ष
2.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), शामली	सदस्य सचिव
3.	प्रभागीय वनाधिकारी, शामली।	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली।	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली।	सदस्य
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, शामली।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, विभाग शामली।	सदस्य
8.	जिला कृषि अधिकारी, शामली।	सदस्य
9.	जिला सूचना अधिकारी, शामली।	सदस्य
10.	अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर, शामली।	सदस्य
11.	जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।	सदस्य (अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित)

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0), डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 एवं सम्बन्धित फर्म के परियोजना प्रबन्धक आदि भी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक हेतु बैठक एजेण्डा सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), शामली द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :—

बिन्दु संख्या— 1 (ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिन स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में)

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), शामली द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या— 7/2026/493/76—1—2026 (2027542) दिनांक 28.02.2026 एवं मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ के पत्रांक— 495/011—JJM(DTU)/26 दिनांक 26.03.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायत्ता उपलब्ध कराने के उददेश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन की कार्यवाही जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शामली के माध्यम से पूर्ण कराये। जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार है :—

1— सभी प्रकार की ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाऐं जैसे जल जीवन मिशन
राज्य योजनाऐ, एन0आर0डी0डब्लू0पी0 योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस (ऑन लाइन फीडिंग कार्य) के अन्दर लाया जाना।

2— योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु प्राक्कलन तैयार करना।

3— जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्लानिंग, कमीशनिंग एवं हैण्डओवर (जलापर्ण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित करना।

4– योजनाओं के दीर्घकालिन स्थायित्व एवं नियमित एवं प्रर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेजयल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लाइनिंग वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध में सुझाव देना।
5– जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगा।
6– जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा आंकलन फार्म से प्राप्त फीड बैक का अध्ययन करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उसके निवारण हेतु सुझाव दिये जायेगे।
7– जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किये जायेगे।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शामली सभी सदस्यों द्वारा जनपद के ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) की समिति के गठन हेतु सहमति दी गयी।

बिन्दु संख्या– 2 (सौलर आधारित पेयजल योजनाओं को विद्युत आधारित पेयजल योजनाओं में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद शामली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2 योजनाऐं मुण्डेट कलॉ ग्राम पेयजल योजना (विकास खण्ड कैराना) एवं जसाला ग्राम पेयजल योजना (विकास खण्ड कॉधला) हेतु पर्याप्त भूमि (900 वर्ग मी0) उपलब्ध न होने के कारण सौलर अधिष्ठापित किया जाना सम्भव नहीं है जिस कारण से ये योजनाओं सौलर से परिवर्तित कर विद्युत आधारित की जानी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इन दोनो योजनाओं की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रदान की जाये।

बिन्दु संख्या– 3 (जे0जे0एम0 के अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जे0जे0एम0 के अन्तर्गत जनपद में 182 नग पेयजल योजनाओ के सापेक्ष 181 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत 1515 कि0मी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 1320 कि0मी0 पाइप लाइन पूर्ण, 109415 नग हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 106493 नग हाउस कनेक्शन पूर्ण एवं 182 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 176 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसमें से 44 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 72 नग उच्च जलाशय 76–99 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये है जिसे शीघ्र ही 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। रोड पुर्नस्थापन के अन्तर्गत जनपद शामली में वर्तमान तक 914 कि0मी0 के सापेक्ष 871 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही वर्तमान तक 238 ग्रामों के सापेक्ष 106 ग्रामों में शत–प्रतिशत स्थाई रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु जनपद में 289 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 128 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति दी जा रही है साथ ही 21 ग्रामों में वर्तमान में पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही 21 ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रदान कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत दोनो कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिये गये कि जनपद में निर्माणाधीन 72 नग उच्च जलाशय जो 76–99 प्रतिशत तक पूर्ण है उन्हे माह अप्रैल 2026 तक पूर्ण करें, अवशेष एफ0एच0टी0सी0 2902 नग को प्राथमिकता पर पूर्ण कराये, किसी भी दशा में एफ0एच0टी0सी0 के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो एवं अवशेष रोड पुर्नस्थापन के कार्य को माह अप्रैल 2026 तक पूर्ण करने की कार्य योजना एक सप्ताह के अन्दर सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या– 4 (विवादित भूमि एवं विवादित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 1 नग पेयजल योजन पर विवादित भूमि एवं 3 नग पेयजल योजना पर विवाद होने के कारण कार्य रुका हुआ है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कार्य की स्थिति	भूमि का विवरण	टिप्पणी
1	शामली	थानाभवन	उस्मानपुर	–	1– गाटा सं0– 365, क्षे0 0.1580 है0 (खाद गड्ढा)	प्रशासन द्वारा दी गयी भूमि (खाद गड्ढा) पर दो बार बोरिंग मशीन पहुँचाई गयी लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा खाद के गड्ढे वाली भूमि पर लगातार विरोध किया गया। उप जिलाधिकारी महोदय शामली द्वारा अपने पत्रांक– 3433/एस0टी0 दिनांक 11.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में खाद के गड्ढे के रुप में अंकित है जिससे पेयजल योजना हेतु स्थाई निर्माण नियमसंगत नहीं है एवं ग्राम में अन्य कोई गैर प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भूमि की श्रेणी परिवर्तन कर पेयजल योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	कैराना	कैराना	गोगवान	ट्यूबवैल बोरिंग पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवॉल, एवं पाइप लाइन आदि का कार्य पूर्ण	1– गाटा सं0– 512 क्षे0 0.0510 है0, भूमि मानक के अनुसार (तालाब के ऊपर) सही नहीं पायी गयी साथ ही मौके पर केवल 0.0100 है0 ही मौजूद थी।	मदरसा समिति एवं ग्राम प्रधान की सहमति उपरान्त मदरसा की भूमि पर ट्यूबवैल बोरिंग, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवॉल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु वर्तमान में उच्च जलाशय के निर्माण में मदरसा समिति द्वारा विरोध किया जा रहा है।

3	कैराना	कैराना	जगनपुर (कण्डेला जोन–1)	ट्यूबवैल बोरिंग पम्प हाउस, आदि का कार्य पूर्ण	–	ग्राम समिति एवं ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन बिछाने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है एवं उनके द्वारा अलग से ग्राम जगनपुर में ट्यूबवैल एवं उच्च जलाशय की मांग की जा रही है। जबकि ग्राम जगनपुर, कण्डेला पेयजल योजना में पूर्व से निर्मित उच्च जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति देने का प्राविधान प्राक्कलन में सम्मलित है। डी0पी0आर0ओ0, बी0डी0ओ0 एवं जल निगम द्वारा खुली बैठक कर ग्रामवासियों को इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए योजना के कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया परन्तु ग्राम समिति द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया गया।
4	कैराना	कैराना	पॉवटी कलॉ	ट्यूबवैल बोरिंग, पम्प हाउस, एवं पाइप लाइन आदि का कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय का कार्य ग्राउन्ड लेविल तक पूर्ण	गाटा सं0– 885 रकबा 0.3750 है0 में से 900 वर्ग मी0, श्रेणी–नई परती दिनांक 17.09. 2022 को योजना हेतु आवंटित की गयी थी।	राजस्व विभाग द्वारा जो भूमि योजना हेतु आवंटित की गयी थी उस भूमि पर पास के ग्रामीण साजिद मौ0 आमिल व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा में याचिका दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा में न्यायालय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मण्डल सहारनपुर जनपद शामली, तहसील कैराना में सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया तत्पश्चात् न्यायालय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मण्डल सहारनपुर जनपद शामली, तहसील कैराना द्वारा सुनवाई की गयी, सुनवाई में वाद संख्या–296/2024 कम्प्युटरीकृत वाद संख्या– D202409720000296 द्वारा दिनांक 22.06. 2024 को अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व) शामली द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके उपरान्त साजिद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पुनः याचिका सं0– 23912 सन् 22024 में दायर की गयी, उक्त याचिका के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा अपनी आख्या मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वाद विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उस्मानपुर पेयजल योजना एवं जगनपुर पेयजल योजना पर उप जिलाधिकारी का सहयोग लेते हुए पेयजल योजना पर कार्य प्रारम्भ करें। ग्राम पॉवटी कलॉ पेयजल योजना पर जब तक मा0 न्यायालय द्वारा स्टे प्राप्त नही हो जाता तब तक योजना के कार्य जारी रखे। गोगवान पेयजल योजना के अन्तर्गत मदरसा समिति एवं ग्राम पंचायत समिति से खुली बैठक कर समस्या का निस्तारण कर योजना के अवशेष कार्य प्रारम्भ करें।

बैठक के अन्त. में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित फर्मों को सख्त निर्देश दिये गये कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए नियमित पेयजल आपूर्ति किसी भी दशा में बाधित न हो साथ ही जिन पेयजल योजनाओं पर पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है उन पेयजल योजनाओं पर शीघ्र अति शीघ्र नियमित पेयजल आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा शेष कार्यों को गम्भीरता से लेते हुए युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता को मिल सके।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
शामली

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
शामली

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई, विभाग
शामली।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क
अधिकारी
शामली

अधिशासी अभियन्ता पूर्वी
यमुना नहर,
शामली

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली

जिला कृषि अधिकारी,
शामली

मुख्य विकास अधिकारी
शामली

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शामली

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, जनपद शामली की बैठक में दिनांक 28.03.2026 को उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :–

क्र0सं0	पदनाम	हस्ताक्षर	मो0नं0
1	जिलाधिकारी महोदय, शामली।		
2	मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।	[signature]	
3	जिला विकास अधिकारी शामली।		
4	प्रभागीय वनाधिकारी, शामली। राजेश कुमार क्षे0 व0 अ0	[signature]	7535000732
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली।		
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली। प्रवीण कुमार ख0 शि0	[signature]	9759906000
7	अधिशासी अभियन्ता पूर्वी यमुना नहर, शामली।	[signature]	8445331489
8	अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, विभाग शामली।	[signature]	909057120
9	जिला कृषि अधिकारी, शामली।	[signature]	
10	जिला सूचना अधिकारी, शामली। Deepak K	[signature]	8057407248
11	जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली। (प्रतिनिधि) SACHIN VERMA	[signature]	9411621877
12	D.C. DPMU	[signature]	7974993660
13	TPI DPM	[signature]	7037656060
14	DPM (JMC-Laxmi (JV)	[signature]	9039939827
15	SPM (JMC-LCESPL (JV)	[signature]	9262944989
16	Kapil Sharma (J.E)	[signature]	9557466454
17	Arvind Kumar (J.E.) Jal Nigam	[signature]	9456983583
18	Rahul Pandey (P.M.) Gayatri	[signature]	9313251914
19	Manoj Kumar AE Jal Nigam	[signature]	9411765424
20			